



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 499) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2020

सं0 7/स्था0-04-10/2018 सा0प्र0वि0-7206—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 सहपठित अनुच्छेद 235 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020

भाग-I

सामान्य।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली “बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा।—जब तक कोई बात विषय/सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ—

(क) किसी सरकारी सेवक के संबंध में ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार का राज्यपाल;

(ख) ‘बिहार न्यायिक सेवा’ से अभिप्रेत है न्यायिक सेवा संवर्ग;

(ग) किसी सेवा के संबंध में ‘संवर्ग प्राधिकार’ से वही अभिप्रेत होगा, जो उस सेवा को विनियमित करने वाली नियमावली में हो;

(घ) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ङ) ‘अनुशासनिक प्राधिकार’ से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय;

(च) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(छ) ‘सरकारी सेवक’ से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो न्यायिक सेवा संवर्ग का सदस्य हो;

(ज) ‘उच्च न्यायालय’ से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय;

(झ) ‘न्यायिक सेवा संवर्ग’ से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा ‘न्यायिक शाखा’ भर्ती नियमावली, 1955, के माध्यम भर्ती किए गए सदस्य, यथा—सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)/सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)

और बिहार वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के माध्यम से जिला न्यायाधीश (प्रविष्टि स्तर) के रूप में भर्ती किया कोई सदस्य;

(ज) 'अवचार' से अभिप्रेत होगा कोई ऐसा आचरण जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो और लागू अवचार नियमावली के उल्लंघन में हो;

(ट) 'परिवीक्षाधीन' से अभिप्रेत है परिवीक्षा पर किसी सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ठ) 'पद' से अभिप्रेत है बिहार राज्य के न्यायिक सेवा संवर्ग के अधीन विद्यमान पद तथा इसमें गैर संवर्गीय पद पर सेवारत सदस्यों का पद भी सम्मिलित हैं;

(ड) 'स्थायी समिति' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय नियमावली, 1916 के अधीन गठित समिति।

3. यह नियमावली न्यायिक सेवा संवर्ग के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगी:

परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो, तो मामला पटना उच्च न्यायालय के लिए निर्देशित किया जायेगा, जिसका उसपर विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग-II

वर्गीकरण।

4. बिहार न्यायिक सेवा का वर्गीकरण।—राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जायेगा:—

- (i) सिविल न्यायाधीश 'जूनियर डिवीजन'
- (ii) सिविल न्यायाधीश 'सीनियर डिवीजन'
- (iii) जिला न्यायाधीश 'प्रविष्टि स्तर'

भाग-III

नियुक्ति प्राधिकार।

5. बिहार न्यायिक सेवा में प्रोन्नति सहित सभी नियुक्तियाँ, उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार के राज्यपाल द्वारा की जायेंगी:

परन्तु सिविल न्यायाधीश 'सीनियर डिवीजन' संवर्ग में नियुक्तियाँ, उच्च न्यायालय द्वारा, सिविल न्यायाधीश 'जूनियर डिवीजन' की प्रोन्नति से की जायेगी।

भाग-IV

निलंबन।

6. निलंबन का आदेश।—(1) उच्च न्यायालय की स्थायी समिति बिहार न्यायिक सेवा के किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगी जब—

(क) सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अवेक्षित हो या लंबित हो, अथवा

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा—हितों, या जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रिया—कलापों में स्वयं संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरुद्ध दंडनीय अपराध का कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो, और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि जनहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है।

(2) कोई सरकारी सेवक स्थायी समिति के किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया समझा जायेगा जब—

(क) उसके कारा—निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में उसे 48 घंटों से अधिक कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो।

व्याख्या। इस उप—नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियाँ, यदि कोई हो, परिगणित की जायेंगी।

(3) (i) उप—नियम (2) के अधीन अभिरक्षा की अवधि के पश्चात् सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझी जाने वाली अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(ii) यदि इस नियम के उप—नियम (1) (क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का कोई विनिश्चय किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई योगदान स्वीकार करने के बाद ही और अलग से निलंबन का आदेश निर्गत कर की जा सकेगी।

(4) जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इस नियमावली के अधीन निरस्त कर दी जाती है और मामले को अगली जाँच या कार्रवाई या कोई अन्य निदेश के साथ विप्रेषित कर दी जाती है, वहाँ उसके निलंबन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि को तथा अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा।

(5) जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी विनिश्चय द्वारा निरस्त कर दी जाती है या उसके परिणामस्वरूप शून्य घोषित होती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसे आरोपों, जिनपर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जाँच करने का विनिश्चय करता है, वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबन के अधीन रखा गया समझा जायेगा और अगले आदेश तक लगातार निलम्बनाधीन रहेगा।

(6) (क) इस नियम के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश तबतक प्रवृत्त रहेगा जबतक स्थायी समिति द्वारा उसका संशोधन या प्रतिसंहरण न किया गया हो।

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तथा उस निलंबन के बने रहने के दरम्यान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो, तब उसे निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार लिखित रूप में अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक ऐसी कार्यवाहियों में से सभी या किसी की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(7) निलम्बनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोपपत्र गठित कर दिया जायेगा और सरकारी सेवक को भी संसूचित कर दिया जायेगा ऐसा नहीं होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलम्बनादेश प्रतिसंहत हो जायेगा जब तक कि निलम्बनादेश निर्गत करने वाला प्राधिकार आरोपपत्र के गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए अगले चार माह की अवधि के लिए निलम्बन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे:

परन्तु विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलम्बनादेश प्रतिसंहत हो जायेगा।

7. निलम्बन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता।—(1) निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर की राशि का जीवन निर्वाह भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु जहाँ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो, वहाँ वह प्राधिकार, जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो, प्रथम बारह माह के पश्चात्पूर्वी किसी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने में सक्षम होगा:—

(i) यदि, उक्त प्राधिकार की राय में, निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिए लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो, तो जीवन—निर्वाह—भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा बढ़ायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन—निर्वाह—भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि, उक्त प्राधिकार की राय में, निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिए लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले लिखित कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी हो, तो जीवन—निर्वाह—भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा घटायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन—निर्वाह—भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) मँहगाई—भत्ता की दर इस नियम के उप—खंड (i) या उप—खंड (ii) के अधीन, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई अनुमान्य जीवन—निर्वाह—भत्ता की दरों पर आधारित होगी;

परन्तु और कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिए जीवन—निर्वाह—भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलंबन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो।

(2) कोई भी सरकारी सेवक उप—नियम (1) के अधीन तबतक भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा जबतक कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(3) जहाँ निलम्बन नियम—6 के उप—नियम (2) के अधीन हो, वहाँ भी जीवन—निर्वाह—भत्ता उपर्युक्त उप—नियम (1) के अनुसार अनुमान्य होगा। सरकारी सेवक के कारावास में रहने के कारण निलंबित समझे जाने के फलस्वरूप जीवन—निर्वाह—भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा। ऐसे जीवन—निर्वाह—भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित था।

(4) स्थायी समिति जीवन—निर्वाह—भत्ता मंजूर करने तथा उसे बढ़ाने या घटाने के लिए सक्षम प्राधिकार होगी।

8. निलम्बन के पश्चात् पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भत्ता की अनुमान्यता।—(1) जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी सेवक पुनःस्थापित किया जाता है या इस प्रकार पुनः स्थापित किया जाता यदि निलम्बन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं होती, तो स्थायी समिति निम्न बातों के संबंध में विचार करेगी और विनिर्दिष्ट आदेश देगी—

(क) यथास्थिति, पुनः स्थापन होने या वार्धक्य सेवानिवृत्ति तक निलम्बन अवधि के लिए सरकारी सेवक को भुगतान वेतन तथा भत्ता; और

(ख) उक्त अवधि कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं।

(2) इस नियमावली के नियम 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलम्बित सरकारी सेवक के विरुद्ध शुरु की गयी अनुशासनिक या न्यायालयी कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो, वहाँ निलम्बन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलम्बित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह-भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया एवं ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(3) जहाँ स्थायी समिति की राय हो कि निलम्बन पुर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को, इस नियम के उप-नियम (8) के उपबंधों के अधधीन, वैसे पूरे वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए, वह निलम्बित नहीं किये जाने पर, हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह-भत्ता तथा अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा:

परन्तु जहाँ ऐसे प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के कारण विलम्ब हुआ है जिसके लिए सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है, तो वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर सकेगा। तत्पश्चात वह, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा अवधारित की जाय।

(4) इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन आनेवाले मामलों में निलम्बन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(5) इस नियम के उप-नियम (2) तथा (3) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को, उप-नियम (8) तथा (9) के उपबंधों के अधधीन, पूरे वेतन एवं भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि स्थायी समिति अवधारित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे निलम्बित नहीं किया जाता। स्थायी समिति द्वारा ऐसा अवधारण सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात और पूर्वोक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा।

(6) जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहते हुए निलम्बन प्रतिसंहत किया जाता है, वहाँ सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की, स्थायी समिति द्वारा, स्वप्रेरणा से, कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा की जायेगी और स्थायी समिति के द्वारा यथास्थिति, इस नियम के उप-नियम (3) या उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा।

(7) इस नियम के उप-नियम (5) के अधीन आनेवाले मामलों में, निलम्बन की अवधि तबतक कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि स्थायी समिति विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बितायी गयी अवधि होगी।

(8) इस नियम के उप-नियम (2), उप-नियम (3) या उप-नियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधधीन होगा जिसके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों।

(9) इस नियम के उप-नियम (3) के परन्तुक या उप-नियम (5) के अधीन अवधारित पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन-निर्वाह-भत्ता से कम।

9. समीक्षा के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा निवृत्ति को अपास्त करने के पश्चात् पुनः स्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता।—

(1) जब किसी सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, को समीक्षा के परिणामस्वरूप पुनः स्थापित किया जाता है अथवा इस प्रकार पुनः स्थापित होता, यदि निलम्बन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवा निवृत्ति नहीं हुई होती तो अनुशासनिक प्राधिकार निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा—

(क) यथा स्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से पूर्व निलम्बन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसे भुगतान किये जाने वाले वेतन एवं भत्ते के संबंध में; और

(ख) उक्त अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी या नहीं।

(2) सरकारी सेवक को, इस नियम के उप-नियम (6) के उपबंधों के अधधीन, निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो उसे अनुमान्य होता यदि वह, यथास्थिति, ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता—

(i) जहाँ, अनुशासनिक प्राधिकार की राय में, सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, को पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) जहाँ केवल इस नियमावली की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करने के आधार मात्र पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश समीक्षोपरान्त निरस्त कर दिया गया हो, और आगे कोई जाँच किया जाना प्रस्तावित नहीं हो:

परन्तु जहाँ, समीक्षा प्राधिकार की राय में, सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित समापन की कार्यवाई, सरकारी सेवक को प्रत्यक्ष रूप से माने जाने वाले कारणों से विलम्ब की गई थी, वह उसको अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देते हुए और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस नियम के उप-नियम (7) के उपबंधों के अध्यधीन, निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए ऐसे वेतन एवं भत्ते का केवल ऐसा अंश ही भुगतान किया जाएगा जैसा कि ऐसे प्राधिकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन आनेवाले मामलों में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को, सभी प्रयोजनों के लिए, कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को, उप-नियम (6) और उप-नियम (7) के अध्यधीन, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार अवधारित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्तगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या निलंबित न किया जाता। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसी अवधारणा, सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और उसे नोटिस के तामिल होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, की जायेगी।

(5) इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन आने वाले मामले में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को तबतक कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बितायी गयी अवधि मानी जायेगी:

परन्तु यदि कोई सरकारी सेवक ऐसा अभ्यावेदन दे, तो ऐसा प्राधिकार विचारण के बाद यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, उसकी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि को सरकारी सेवक को देय और अनुमान्य किसी प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जायेगा।

(6) इस नियम के उप-नियम (2) और उप-नियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्तों के अध्यधीन होगा जिसके अधीन भत्ते अनुमान्य हों।

(7) इस नियम के उप-नियम (2) के परन्तुक या उप-नियम (4) के अधीन अवधारित पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्तों के बराबर होगा और न तो नियम (7) के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम।

(8) पुर्नस्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, बर्खास्तगी, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुर्नस्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अध्यधीन किया जायेगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगे वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. जहाँ सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाय वहाँ पुर्नस्थापन पर, सेवा का निरूपण एवं वेतन और भत्ते की अनुमान्यता।—

(1) जहाँ किसी सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाये और ऐसा सरकारी सेवक, आगे किसी और जाँच किये बिना पुर्नस्थापित कर दिया जाय, वहाँ कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित कर दी जायेगी और सरकारी सेवक को न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस नियम के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) (i) इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन आने वाले मामले से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार अवधारित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्तगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या निलंबित नहीं किया जाता। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसी अवधारणा, सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस के तामिल होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, किया जायेगा:

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन सरकारी सेवक को कोई भी भुगतान, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न तो नियम (7) के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम।

(ii) सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की अवधि नियम 9 के उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

(3) जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो, और आगे कोई जाँच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहाँ, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर मानी जायेगी। फलस्वरूप, सरकारी सेवक को उस अवधि के लिए पूरे वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमान्य हो।

(5) पुनर्स्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अधीन, किया जायेगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगी वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

भाग-V

शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार।

11. लघु एवं वृहत शास्तियाँ।—समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसके बाद यथा उपबधित, निम्नलिखित शास्तियाँ सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी; यथा:—

लघु शास्तियाँ—

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति रोकना;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियों को रोकना;

वृहत शास्तियाँ—

(vi) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धियों को रोकना;

(vii) खंड (vi) में यथोपबधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, आगे इस निदेश के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(viii) निम्नतर कालमान वेतन कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतः सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में, जिससे उसे अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस श्रेणी, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(x) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी:

परन्तु ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिए पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, तो खंड (x) या खंड (xi) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी:

परन्तु और कि किसी आपवादिक मामले में तथा लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण I—(1) इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति माना नहीं जायेगा, यथा:—

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करने वाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन-वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, श्रेणी या पद पर, जिसके लिए वह पात्र हो, उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना;

(iii) किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, श्रेणी या पद, जिसके लिए वह पात्र हो, के लिए उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना;

(iv) उच्चतर सेवा, श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अन्य जुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर, निम्नतर सेवा, श्रेणी या पद पर प्रतिवर्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;

(vi) अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vii) सेवा समाप्ति I— (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार।

स्पष्टीकरण I—(2) इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) एवं (viii) में उल्लिखित शास्तियों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जाता है, यथा—

(i) **निन्दन** I—निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल-चूक के वर्ष की चारित्री में की जायेगी। जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण निन्दन की शास्ति दी जायेगी उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की संपुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002–2003 के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी प्रविष्टि वर्ष 2002–2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 तक रहेगा।

ऐसा सरकारी सेवक, जिसे तीन निन्दन की शास्तियाँ मिल चुकी हों, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उस सरकारी सेवक का अगले 5 वर्षों में कम-से-कम 3 वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षों की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं दी गई हो। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती तो 2008 में, अर्थात् अंतिम निन्दन के कुप्रभाव की समाप्ति के 5 वर्षों के बाद, उसकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्त कि 2003 से 2007 तक की 5 वर्षों की अवधि में कम-से-कम 3 वर्षों का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और इन 5 वर्षों की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं दी गई हो।

(ii) **प्रोन्नति रोकना** I—प्रोन्नति पर रोक की शास्ति देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी विशेष अवधि अथवा पूरे सेवाकाल के लिए होगी।

(iii) **तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति** I— इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा। इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है। चूँकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है, अतः शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा।

(iv) **संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना** I— ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोक दी जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोक दी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात् असंचयात्मक प्रभाव से) रोक दी जाती हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है इसलिए वेतनवृद्धि रोकें जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोक दी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

इस शास्ति के प्रवर्तन में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार करना सम्भव होगा।

(v) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना।—ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात् संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। जितने वर्षों तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षों की वेतनवृद्धियों के लिए संचयी प्रभाव रहेगा, परन्तु चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के साथ है इसलिए रोकी गई वेतनवृद्धियाँ पूरी सेवाकाल तक के लिए रूक जायेगी। ऐसी स्थिति में रोकी गई वेतनवृद्धियों के बाद तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रूकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा।

इस शास्ति के प्रवर्तन में रहने की अवधि के दौरान अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार करना सम्भव होगा।

(vi) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, आगे इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं।—ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्वतः अनुमान्य होने लगेंगी या बाधित रहेंगी, और यदि बाधित रहेंगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेंगी।

ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति के बाद यदि भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्थगित रखी जाती हैं तो जितने वर्षों के लिए वेतनवृद्धियाँ बाधित रहेंगी उतने वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रहेगी।

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस श्रेणी या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस श्रेणी, पद या सेवा में, ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, वर्जन होगी। इस शास्ति संबंधी आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि इसकी प्रभाव-सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए होगी या नहीं। यदि इसकी प्रभाव-सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो, तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्तों का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति में करना आवश्यक होगा। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि शास्ति अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नलिखित रूप में निदेश विनिर्दिष्ट किये जायें :-

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए;

(ख) जहाँ अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहाँ यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वतः उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(ग) ऐसी पुनः प्रोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन में, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, अपनी मौलिक वरीयता पुनः प्राप्त कर लेगा या नहीं।

“स्पष्टीकरण।—(3) चेतावनी।—इस नियम क अर्थान्तर्गत ‘चेतावनी’ शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी कोटि में नहीं रखा गया है। परन्तु ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को, अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की, उसकी लापरवाही, अभिरुचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ जाय। ऐसी आलोचना “मौखिक” या “लिखित” चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यों में सुधार आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात् स्पष्टीकरण पृष्ठने पर उसकी जांच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि “निन्दन” की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को “चेतावनी” देना पर्याप्त है। ऐसी हालत में जो “चेतावनी” दी जाती है उसकी प्रविष्टि चारित्री में की जानी चाहिए। परन्तु चारित्री में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी “चेतावनी” “निन्दन” में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हालाँकि ऐसी चेतावनी का प्रभाव सरकारी सेवक की मेधा या उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने पर पड़ता है। ऐसी “चेतावनी” “निन्दन” नहीं हो सकती है, क्योंकि “चेतावनी” देते समय उसे “निन्दन” के योग्य नहीं पाया गया था। यदि किसी सरकारी सेवक की चारित्री में “दो चेतावनियाँ” की प्रविष्टि हो, तो उपर्युक्त कारणों से, ऐसी चेतावनियाँ “निन्दन” में परिवर्तित नहीं मानी जा सकती हैं और न ही वे “एक निन्दन” के समान हो जा सकती हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियाँ चारित्री में दर्ज हो जायें। चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती हैं। यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होता है तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तदनुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं।

यदि किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी अपने अवचार को स्पष्ट करने हेतु अवसर देकर, उसके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) 'चेतावनी' दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चारित्री में की जाती है तो ऐसे मामले में उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा। यदि किसी सरकारी सेवक की चारित्री में पाँच चेतावनियों की प्रविष्टि हुई हों, तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पाँचवीं चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम-से-कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पाँच वर्षों की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं दी गई हो।"

12. अनुशासनिक प्राधिकार।—उच्च न्यायालय किसी सरकारी सेवक पर नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

13. कार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकार।—पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने हेतु सशक्त है।

भाग—VI

शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।

14. वृहत शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।—(1) जहाँ तक हो सके इस नियमावली में उपबंधित रीति से जाँच किये बिना नियम 11 के खंड (vi) से (xi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ कहीं भी अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई के बारे में जांच करने के आधार हैं, वहाँ वह स्वयं इसकी जांच कर सकेगा अथवा उसकी सच्चाई के बारे में जांच के लिये इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण।—जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार स्वयं जाँच करता हो वहाँ जाँच प्राधिकार से संबंधित इस नियम के उप-नियम (7) से उप-नियम (20) में तथा उप-नियम (22) में जाँच प्राधिकार के प्रति कोई निर्देश अनुशासनिक प्राधिकार के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

(3) जहाँ इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध जांच करना प्रस्तावित हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार—

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट रहेंगे:—

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन; और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों के उस अभिकथन तथा उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों का सिद्ध होना प्रस्तावित हो, देगा या दिलवायेगा तथा सरकारी सेवक से अपेक्षा करेगा कि यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि उसे वैयक्तिक रूप सुना जाय।

(5)(क) बचाव का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की उन मदों के बारे में जांच—पड़ताल स्वयं कर सकेगा जिन्हें स्वीकार न किया गया हो, अथवा यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा और जहाँ सरकारी सेवक द्वारा अपने बचाव के लिखित कथन में सभी आरोपों के मदों को स्वीकार कर लिया गया हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे साक्ष्य लेते हुए, जिसे वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा नियम 15 में दी गयी रीति से कार्रवाई करेगा।

(ख) यदि सरकारी सेवक द्वारा बचाव का कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की मदों की जांच—पड़ताल स्वयं कर सकेगा अथवा यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार की नियुक्ति करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा।

(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार आरोप के किसी मद के बारे में जांच—पड़ताल स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप के बारे में जांच—पड़ताल करने के लिए जांच प्राधिकार की नियुक्ति करे, वहाँ वह आरोप के मदों के समर्थन में मामला को उसकी ओर से प्रस्तुत करने के लिए, एक आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक को या किसी विधि व्यवसायी को 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकार, जहाँ वह जांच प्राधिकार न हो, जांच प्राधिकार को निम्नलिखित अभिलेख अग्रसारित करेगा :—

(i) आरोप के मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

- (ii) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;
- (iii) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हो, के अभिकथनों की एक प्रति;
- (iv) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी सेवक को उपलब्ध कराया जाना साबित करनेवाला साक्ष्य; और
- (v) 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति।

(7) सरकारी सेवक, आरोप के मद्दों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि और उस समय पर, जो जांच प्राधिकार इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अथवा जांच प्राधिकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त दस दिनों से अनधिक समय के भीतर, जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा।

(8) सरकारी सेवक, अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए, अपने मुख्यालय में या जहां जांच की जा रही हो उस स्थान पर, किसी कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा :

परन्तु कि वह इस प्रयोजनार्थ किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं रख सकेगा जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो, अथवा मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुशासनिक प्राधिकार ऐसी अनुमति न दे:

परन्तु और भी कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, ऐसा करने की अनुमति दे तो सरकारी सेवक किसी अन्य स्थान पर पदस्थापित किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा:

परन्तु यह और भी कि सरकारी सेवक किसी ऐसे अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं ले सकेगा जिसके पास ऐसे तीन लम्बित अनुशासनिक मामले हों जिनमें उसे सहायता देनी हो।

(9) यदि सरकारी सेवक, जिसने अपने बचाव के लिखित अभिकथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार न किया हो या बचाव में कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किया हो, जांच प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्राधिकार उससे पूछेगा कि वह दोषी है या नहीं अथवा अपने बचाव के लिये उसे कुछ कहना है या नहीं और यदि वह आरोप के किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता हो तो जांच प्राधिकार उस अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर सरकारी सेवक से हस्ताक्षर करा लेगा।

(10) आरोप के जिन मद्दों के संबंध में सरकारी सेवक ने दोषी होने का अभिवचन किया हो जांच प्राधिकार उन दोषों पर अपना निष्कर्ष वापस कर देगा।

(11) यदि सरकारी सेवक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल हो अथवा अभिवचन से इनकार करता हो या अभिवचन नहीं करता हो, तो जांच प्राधिकार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करे जिनके द्वारा आरोप के मद्दों को वह साबित करना चाहता हो और मामले को तीस दिनों से अनधिक की बाद की तिथि के लिए स्थगित कर देगा और इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि सरकारी सेवक अपना प्रतिवाद तैयार करने के लिये—

- (i) आदेश किये जाने के पांच दिनों के भीतर अथवा जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत पाँच दिनों से अनधिक अतिरिक्त समय के भीतर

इस नियम के उप-नियम (3) में सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;

- (ii) अपनी ओर से परीक्षण किये जानेवाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकता है;

टिप्पणी।—यदि सरकारी सेवक उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के बयानों की प्रतियां उपलब्ध कराने का लिखित आवेदन करे तो जांच प्राधिकार यथाशीघ्र उसे ऐसी प्रतियां दे देगा।

- (iii) आदेश किये जाने के दस दिनों के भीतर या जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत अतिरिक्त समय के भीतर ऐसे किसी दस्तावेज की खोज करने या पेश करने की नोटिस दे सकेगा जो सरकार के पास हो, किन्तु इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लिखित न हो:

परन्तु सरकारी सेवक सरकार द्वारा खोज की जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित दस्तावेजों की प्रासंगिकता को सूचित करेगा।

(12) दस्तावेजों को खोजने या पेश करने की नोटिस प्राप्त होने पर जांच प्राधिकार उसे या उसकी प्रतिलिपियां एक अध्यापेक्षा के साथ उस प्राधिकार को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गये हों, अध्यापेक्षा में यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक दस्तावेज पेश करने हेतु अग्रसारित कर देगा;

परन्तु जांच प्राधिकार, अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, ऐसी दस्तावेजों की अध्यापेक्षा को अस्वीकार कर सकेगा जिन्हें वह मामले के लिये अप्रासंगिक समझें।

(13) इस नियम के उप-नियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यापेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यापेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाला हरेक प्राधिकार उन्हें जांच प्राधिकार के समक्ष पेश करेगा:

परन्तु अध्यापेक्षा दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाले प्राधिकार का उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यदि यह समाधान हो जाय कि ऐसे दस्तावेजों में से सभी या किसी को पेश

करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह तदनुसार जांच प्राधिकार को सूचित करेगा और इस तरह सूचित किये जाने पर, जांच प्राधिकार, यह जानकारी सरकारी सेवक को संसूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने या खोजने के लिये की गयी अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा।

(14) जांच के लिये नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप के मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन बिन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उसका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जांच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं करेगा। जांच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(15) अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से मामला बन्द किये जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकार स्वविवेक से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा जो सरकारी सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नये साक्ष्यों की मांग कर सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुलाकर उसका पुनर्परीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में सरकारी सेवक, यदि मांग करे तो, पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्यों की सूची लेने तथा ऐसे नये साक्ष्यों को पेश करने के पूर्व पूरे तीन दिनों के लिये जांच का स्थगन लेने का हकदार होगा, जिसमें स्थगन का दिन एवं जिस दिन के लिये जांच स्थगित की गयी हो, शामिल नहीं रहेंगे। अभिलेख पर लिये जाने के पूर्व, जांच प्राधिकार उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर सरकारी सेवक को देगा। जांच प्राधिकार सरकारी सेवक को भी नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसकी यह राय बने कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना आवश्यक है।

परन्तु साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिये नया साक्ष्य देने या मांगने या किसी साक्षी को फिर से बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे साक्ष्य की मांग तभी की जा सकेगी जब मूलतः पेश किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या दोष हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकार के लिये मामला बन्द हो जाय तब सरकारी सेवक से अपेक्षा की जायेगी कि वह मौखिक या लिखित, जैसा वह पसंद करे, अपने प्रतिवाद का अभिकथन करे। यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाय तो उसे अभिलिखित किया जायेगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद अभिकथन की प्रति नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, को दी जायेगी।

(17) उसके बाद सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा। सरकारी सेवक यदि चाहे तो, अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकेगा। उसके बाद, सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये साक्षियों का परीक्षण किया जायेगा और वे अनुशासनिक प्राधिकार के साक्षियों पर लागू उपबंधों के अनुसार जांच प्राधिकार द्वारा परीक्षण किये जाने, प्रतिपरीक्षण किये जाने एवं पुनर्परीक्षण किये जाने के दायी होंगे।

(18) यदि सरकारी सेवक ने स्वयं परीक्षण न किया हो तो, सरकारी सेवक द्वारा अपना मामला बन्द किये जाने के पश्चात्, जांच प्राधिकार, सरकारी सेवक के विरुद्ध साक्ष्य में दिखनेवाली परिस्थितियों के संबंध में, उसकी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ, उससे सामान्य पूछताछ करेगा।

(19) साक्ष्यों को पेश किया जाना पूरा होने के बाद, जांच प्राधिकार, नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, और सरकारी सेवक को सुनेगा या, यदि वह चाहे तो, उन्हें अपने-अपने मामले का लिखित पक्ष कथन दाखिल करने की अनुमति देगा।

(20) यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप के मदों की एक प्रति दी गयी हो, बचाव का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पेश न करे अथवा जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित न हो अथवा इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा विफल रहे या अस्वीकार करे तो जांच प्राधिकार एकपक्षीय जांच कर सकेगा।

(21) जब कभी किसी जांच के संपूर्ण साक्ष्य या इसके किसी भाग को सुनने और अभिलिखित किये जाने के पश्चात् किसी जांच प्राधिकार को उसमें अधिकारिता न रह जाय तथा अन्य जांच प्राधिकार प्रभार ग्रहण करे, जिसे ऐसी अधिकारिता हो और जो उस अधिकारिता का प्रयोग करे, तो वह उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार अपने पूर्ववर्ती द्वारा उस प्रकार अभिलिखित किये गये अथवा आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं द्वारा अभिलिखित किये गये साक्ष्य के आधार पर कार्यवाई कर सकेगा।

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार की राय हो कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले अभिलिखित किया जा चुका हो, पुनः आगे जांच न्यायहित में आवश्यक है, तो वह किसी ऐसे साक्षी को बुला सकेगा, उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा, जैसा कि इसमें पूर्व-उपबंधित है।

(22)(i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक अभिलेख तैयार किया जायेगा और इसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे:—

- (क) आरोप के मदों और अवचार अथवा कदाचार के लांछन की विवरणी;
- (ख) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध में सरकारी सेवक का प्रतिवाद;
- (ग) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण;
- (घ) प्रत्येक आरोप के मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण—यदि जांच प्राधिकार की राय में जांच की कार्यवाही आरोप के मूल मदों से भिन्न किसी आरोप के मद को सिद्ध करे, तो वह ऐसे आरोप के मद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे आरोप के मद पर निष्कर्ष तबतक अभिलिखित नहीं किये जायेंगे, जबतक कि सरकारी सेवक ने ऐसे तथ्यों को, जिन पर ऐसे आरोप के मद आधारित हो, या तो स्वीकार न कर लिया हो या ऐसे आरोप के मद के विरुद्ध अपना प्रतिवाद करने के लिये उसे युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(ii) जांच प्राधिकार, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकार न हो, जांच-अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) इस उप-नियम के खंड (I) के अधीन उसके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन;

(ख) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किये गये बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी या सरकारी सेवक या दोनों के द्वारा दाखिल किये गये लिखित पक्ष-कथन, यदि कोई हो; और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकार तथा जांच प्राधिकार द्वारा जांच से संबंधित किये गये आदेश, यदि कोई हो।

15. जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाई—(1) अनुशासनिक प्राधिकार, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकार न हो, लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, पुनः आगे जांच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए मामले को जांच प्राधिकार के पास वापस प्रेषित कर सकेगा तथा जांच प्राधिकार उस पर, जहां तक हो सके नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पुनः आगे जांच करेगा।

(2) नियम 14, उप नियम(22) (II) या इस नियम के उप नियम (I) के अनुसार जांच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार यदि वह आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमत हो तो ऐसी असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगा तथा ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो।

(3) अनुशासनिक प्राधिकार जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, उप नियम (2) में यथाउपबंधित स्वयं के निष्कर्ष, यदि कोई हो, के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा या भेजवायेगा, जो यदि वह ऐसा चाहे, अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के भीतर समर्पित कर सकेगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार, इस नियम के उप-नियम (5) एवं (6) में यथा निर्दिष्ट अग्रेतर कार्यवाई करने के पूर्व, सरकारी सेवक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(5) आरोप के सभी या किसी मद से संबंधित अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम-11 के खंड (I) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा।

(6) आरोप की सभी अथवा किसी मद पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम-11 के खंड (vi) से (xi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा और अधिरोपित होनेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

“परन्तु बर्खास्त करने, सेवाच्युत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार राज्यपाल के आदेश से ही दंड संसूचित किया जा सकेगा।”

16. लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया—(1) नियम 15 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, किसी सरकारी सेवक पर नियम 11 के खंड (I) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश, निम्नलिखित कार्यवाइयों के किये बिना, नहीं दिया जायेगा—

(क) उसके विरुद्ध कार्यवाई करने के लिये प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधार पर कार्यवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जांच आवश्यक हो नियम 14 के उप-नियम (3) से (22) तक में विहित रीति से जांच;

(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के उपनियम(I) अधीन समर्पित अभ्यावेदन तथा खंड (ख) के अधीन की गयी जांचका अभिलेख, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नलिखित शामिल रहेंगे:—

(I) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाई की सूचना की एक प्रतिलिपि;

(II) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;

(III) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(IV) जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;

(V) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और

(VI) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश।

17. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया।—नियम 14 से 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

- (i) जहां किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी अपराधिक आरोप के संबंध में उसकी दोषसिद्धि की ओर ले जाने वाले आचरण के आधार पर अधिरोपित किया जाय; अथवा
- (ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का अपने द्वारा, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है; अथवा
- (iii) जहां सरकार का समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से कोई जांच करना राज्य के हित में समीचीन नहीं है,

तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु खंड (i) के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व अधिरोपित की जानेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा।

18. आदेशों का संसूचन।—अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये आदेश सरकारी सेवक को संसूचित किये जायेंगे जिसे आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष, अथवा जहां अनुशासनिक प्राधिकार जांच प्राधिकार नहीं है वहां जांच प्राधिकार के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारणों सहित अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्षों के एक अभिकथन की प्रति उपलब्ध कराये जायेंगे।

19. सम्मिलित कार्यवाही।—(1) जहां किसी मामले में दो या अधिक सरकारी सेवक संबंधित है वहां सरकार या ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकार आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक सम्मिलित कार्यवाही के तहत की जा सकती है।

टिप्पणी।—यदि ऐसे सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम प्राधिकार भिन्न हों तो कॉमन कार्यवाही के तहत अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश ऐसे प्राधिकारों में उच्चतम प्राधिकार द्वारा अन्यों की सहमति से दिया जा सकेगा।

(2) किसी ऐसे आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रहेगा—

- (i) ऐसी कॉमन कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकनेवाला प्राधिकार;
- (ii) नियम 11 में निर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार अधिरोपित करने में सक्षम होगा;
- (i) नियम 14 एवं नियम 15 या नियम 16 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में होगा या नहीं।

भाग—VII

अपील/पुनर्विलोकन

20. अपील/पुनर्विलोकन।—(1) नियम 11 के अधीन दी गई शास्ति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, फिर भी व्यथित न्यायिक पदाधिकारी नियम 11 के अधीन, यथास्थिति, वृहद शास्तियों या लघु शास्तियों में से किसी एक के अधिरोपण आदेश सहित अनुशासनिक प्राधिकार के किसी आदेश के विरुद्ध सरकार के समक्ष ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल कर सकेगा।

(2) उस पर किसी ऐसी शास्तियों के अधिरोपण आदेश की संसूचना की तिथि से 45 दिनों के भीतर ऐसा पुनर्विलोकन दाखिल किया जा सकेगा:

परन्तु इस नियमावली के अधीन कोई आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकार, समुचित तथा यथेष्ट कारणों से, या यदि यथेष्ट कारण दर्शाया जाये, इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय का विस्तार और विलम्ब का उपमर्षण कर सकेगा।

(3) राज्यपाल, व्यथित न्यायिक पदाधिकारी से पुनर्विलोकन का ज्ञापन प्राप्त करने पर, उसे उच्च न्यायालय को उनकी राय के लिए अग्रसारित करेंगे और उच्च न्यायालय की राय प्राप्त हो जाने पर, राज्यपाल, उच्च न्यायालय द्वारा विधिसम्मत अग्रसारित राय के अनुसार, पुनर्विलोकन पर विनिश्चय करेंगे।

(4) इस प्रकार दाखिल किया गया पुनर्विलोकन का निपटान राज्यपाल को पुनर्विलोकन का ज्ञापन सौंपने की तिथि से तीन महीने के भीतर कर दिया जायेगा।

21. शंकाओं का निराकरण।—(1) यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) बिहार सेवा संहिता और बिहार पेन्शन नियमावली के उपबंध सरकारी सेवक पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, वैसे मामलों में लागू होंगे, जिसके लिए इस नियमावली में कोई प्रावधान न हो।

22. विनियम बनाने की शक्ति।—(1) उच्च न्यायालय इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन बनाये गये सभी विनियम राज्यपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

23. निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1) इस नियमावली के लागू होने के ठीक पहले प्रवृत्त इस नियमावली, आदेश और संकल्प, यदि कोई हो, के तत्संगत सभी नियमावली इस नियमावली के अधीन आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु—

(क) ऐसा निरसन उक्त नियमों और आदेशों या उसके अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई के पूर्ववर्ती क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा;

(ख) इस नियमावली के आरंभ होने पर निरसित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन लंबित कोई कार्यवाही इस नियमावली के अनुसार, जहाँ तक सम्भव हो सके, चलती रहेगी और उसका तत्संगत निपटान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के आरंभ के पहले किये गये किसी आदेश के विरुद्ध, इस नियमावली के आरंभ होने पर, लंबित, या दाखिल पुनर्विलोकन का निपटान नियम 20 के अनुसार किया जायेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

The 20th August 2020

No. 7/Ashta.-04-10/2018GAD-7206---In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 235 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, in consultation with the Patna High Court, is pleased to make the following Rules-

BIHAR JUDICIAL SERVICE (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL)

RULES, 2020

PART- I

GENERAL

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called the “Bihar Judicial Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 2020”.

(2) It shall extend to whole of The State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definition.- For the purposes of these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

- (a) ‘Appointing Authority’ in relation to a Government servant means the Governor of Bihar, in consultation with the High Court;
- (b) ‘Bihar Judicial Service’ means the Judicial Services cadre;
- (c) ‘Cadre Authority’, in relation to a service, has the same meaning as in the Rules regulating that service;
- (d) ‘Commission’ means the Bihar Public Service Commission;
- (e) ‘Disciplinary Authority’ means the Patna High Court;
- (f) ‘Government’ means the Government of Bihar;
- (g) ‘Government servant’ means a person who is a member of the Judicial Services Cadre;
- (h) ‘High Court’ means the Patna High Court;
- (i) ‘Judicial Service Cadre’ means members recruited through Bihar Civil Services (Judicial Branch), Recruitment Rules, 1955, such as Civil Judge (Junior Division) / Civil Judge (Senior Division) and members recruited through Bihar Superior Judicial Services Rules 1951 as District Judge (Entry Level).
- (j) ‘Misconduct’ shall mean any conduct which is unbecoming of a government servant and is in violation of conduct Rules in force.
- (k) ‘Probationer’ means a person appointed to a service on probation;

- (l) 'Post' means any existing post under the Judicial services cadre of the State of Bihar and it includes the posts of the members serving on ex-cadre post also;
- (m) 'Standing Committee' means the Committee constituted under the Rules of the High Court at Patna, 1916.

3. These rules shall apply to every member of the Judicial Services Cadre:

Provided if any doubt arises with respect to the provisions of these Rules, the matter shall be referred to the High Court of Judicature at Patna, whose decision thereon shall be final.

PART II CLASSIFICATION.

4. **Classification of Bihar Judicial Services-** The Judicial Officers of the State shall be classified as follows:-

- (i) Civil Judge (Jr. Division)
- (ii) Civil Judge (Sr. Division)
- (iii) District Judge (Entry Level)

PART III APPOINTING AUTHORITY.

5. All appointments including promotion in the Bihar Judicial Services shall be made by the Governor of Bihar in consultation with the High Court:

Provided that the appointments in the cadre of Civil Judge (Sr. Division) shall be made by the High Court by promotion of Civil Judge (Jr. Division).

PART IV SUSPENSION.

6. **Order of suspension.-** (1) The Standing Committee of the High Court, may place a government servant of the Bihar Judicial Service under suspension when:-

- (a) a disciplinary proceeding against the government servant is contemplated or is pending, or
 - (b) in the opinion of the authority aforesaid, the government servant has engaged himself or herself in activities prejudicial to the interest of the security of the State, or in public interest, or
 - (c) a case against the government servant in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial and the competent authority is satisfied that it is expedient to suspend the government servant in public interest.
- (2) A government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the Standing Committee with effect from the following date:-
- (a) from the date of his or her detention, if he or she is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours;
 - (b) from the date of his or her conviction, if, in the event of a conviction for an offence he or she is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

EXPLANATION- The period of forty-eight hours specified in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the date of commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

- (3) (i) After the custody period under sub-rule (2), the period of deemed suspension shall be deemed to end when the government servant gives his / her joining and the joining is accepted.
(ii) If a decision is taken to suspend the government servant again under sub-rule (1) (a) or (b) or (c) of this rule, then such action may be taken only after acceptance of joining and by issuing a separate order of suspension.
- (4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside under these Rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.
- (5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold further inquiry against the government servant to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case, on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.
- (6) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the Standing Committee.
(b) Where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him or her during the continuance of that suspension, the authority, competent to place him or her under suspension, may, for reasons to be recorded by it in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.
- (7) Charge-sheet must be framed and communicated to the government servant within three months from the date of issue of suspension order failing which on expiry of three months, the suspension order shall be revoked unless the authority, which issued the suspension order, passes the order renewing the suspension alongwith reasons to be recorded in writing for the delay in framing of charge-sheet for a further period of four months;
Provided that after the expiry of extended period of four months, the suspension order shall stand revoked if the charge-sheet is not framed.

7. Subsistence allowance during suspension.— (1) A government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension shall be entitled to receive a subsistence allowance of an amount equal to the half average pay and in addition, dearness allowance admissible on such half pay;

Provided that where the period of suspension has exceeded twelve months, the authority, who has made such order of suspension, shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of first twelve months as follows:-

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by such a suitable amount, which shall not be exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of the first twelve months, if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged, for which, for reasons to be recorded in writing, the government servant is not responsible;
 - (ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by such a suitable amount which shall not be exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first twelve months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged, for which, for reasons to be recorded in the writing, the government servant is responsible;
 - (iii) the rate of dearness allowance will be based on the rates increased or, the reduced amount, as the case may be, of subsistence allowance admissible under sub-clause(i) or sub-clause(ii) of this rule;
Provided further that the government servant shall be entitled to receive subsistence allowance only for such period when he is actually present at the headquarters during the suspension period.
- (2) No government servant shall be entitled to receive payment under sub-rule(1) unless he furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.
 - (3) Where suspension is under sub-rule (2) of Rule 6, in that case also the subsistence allowance shall be admissible in accordance with sub-rule (1) above. As a result of deemed suspension due to detention in custody the payment of subsistence allowance may be made to the dependent nominated by the government servant on the basis of his authority. Such subsistence allowance shall be paid by the same establishment where the government servant was posted at the time of detention.
 - (4) The Standing Committee shall be the competent authority to grant subsistence allowance and to increase or decrease the same.

8. Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances after suspension.- (1) When a government servant under suspension is reinstated or would have been so reinstated but for his superannuation while under suspension, the Standing Committee shall consider and make specific order regarding the following:-

- (a) the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of suspension ending with reinstatement or the date of his retirement on superannuation, as the case may be, and
 - (b) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty.
- (2) Notwithstanding anything contained in Rule 7 of these Rules, where a government servant under suspension has died before the disciplinary or court proceedings instituted against him are concluded, the period between the date of suspension and the date of death shall be treated as on duty for all purposes and his family shall be paid the full pay and allowances for that period to which he would have been entitled had he not been suspended. While making such payment adjustment shall be made in respect of subsistence allowance and other allowances already paid and the adjustment of government dues or loans.
 - (3) Where the Standing Committee is of the opinion that the suspension was wholly unjustified, the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (8) of this Rule, be paid such full pay and allowances to which he would have been

entitled, had he not been suspended. While making such payment adjustment shall be made in respect of subsistence allowance and other allowances already paid; Provided that where such authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the government servant had been delayed due to reasons directly for which the government servant is liable, it may, give the government servant an opportunity to make his or her representation and consider the representation, if any, submitted by him or her. After that it may direct, for reasons to be recorded in writing, that the government servant shall be paid for the period of such delay only such proportion of such pay and allowances as may be determined by it.

- (4) In cases falling under sub-rule (3) of this Rule, the period of suspension shall be treated as a period spent on duty for all purposes.
- (5) In cases other than those falling under sub-rules (2) and (3) of this Rule, the government servant shall subject to the provisions of sub-rules (8) and (9) be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled had he not been suspended, as the Standing Committee may determine. Such determination by the Standing Committee shall be done after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that connection within sixty days from the date on which notice aforesaid is served on the government servant.
- (6) Where suspension is revoked pending finalization of the disciplinary proceeding or proceedings in a court, any order passed under sub-rule (1) of this Rule before the conclusion of the proceedings against the government servant, shall be reviewed on its own motion, after the conclusion of the proceedings by the Standing Committee and an order shall be made by the Standing Committee in accordance with the provisions contained in sub-rule(3) or sub-rule(5) of this Rule, as the case may be.
- (7) In a case falling under sub-rule (5) of this Rule, the period of suspension shall not be treated as a period spent on duty, unless the Standing Committee specifically directs that it shall be the period spent for any specified purposes.
- (8) The payment of allowances under sub-rule (2), sub-rule (3) or sub-rule (5) of this Rule shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.
- (9) The proportion of the full pay and allowances determined under the proviso to sub-rule(3) or under sub-rule(5) of this Rule shall neither be equal to full pay and allowances nor shall it be less than the subsistence allowance.

9. Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances after dismissal, removal or compulsory retirement is set aside on review.-

- (1) When a government servant, who has been dismissed, removed or compulsorily retired, is reinstated as a result of review or would have been so reinstated but for his retirement on superannuation while under suspension or not, the disciplinary authority shall consider and pass a specific order:-
 - (a) Regarding the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of his absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal, or compulsory retirement, as the case may be; and
 - (b) Whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty.
- (2) The government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (6) this Rule be paid the full pay and allowances to which he / she would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, in cases:-

- (i) Where the disciplinary authority is of opinion that the government servant who had been dismissed, removed or compulsorily retired has been fully exonerated, or
- (ii) Where the order of dismissal, removal or compulsory retirement from service is set aside on review solely on the ground of non-compliance of the requirement of these Rules and no further inquiry is proposed to be held;

Provided that where the reviewing authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the government servant had been delayed due to reasons directly attributable to the government servant, it may, after giving him an opportunity to make his representation and after considering the representation, if any, submitted by him, direct, for reasons to be recorded in writing, that the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (7) of this Rule, be paid for the period of such delay, only such proportion of such pay and allowances as it may be determined by such authority.

- (3) In a case falling under sub-rule (2) of this rule, the period of absence from duty including the period of suspension preceding dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be treated as a period spent on duty for all purposes.
- (4) In cases other than those covered by sub-rule (2) of this Rule, the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (6) and (7) of this Rule, be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, as the disciplinary authority may determine. The disciplinary authority shall determine the proportion of such payment after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him, in that connection within sixty days from the date on which the notice aforesaid is served on the government servant.
- (5) In a case falling under sub-rule (4) of this Rule, the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall not be treated as a period spent on duty, unless the disciplinary authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose.
Provided that if the government servant so represents, such authority may after consideration, direct that the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be converted into leave of any kind due and admissible to the government servant.
- (6) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule (4) of this Rule shall be subject to all other conditions under which allowances are admissible.
- (7) The proportion of the full pay and allowances determined under the proviso to sub-rule (2) or under sub-rule (4) of this Rule shall neither be equal to the full pay and allowances nor less than the subsistence allowance and other allowances admissible under Rule 7, as the case may be.
- (8) Any payment made under this Rule to a government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him through an employment during the period between the date of removal, dismissal or compulsory

retirement, as the case may be, and the date of reinstatement. Where the pay and allowances admissible under this Rule are equal to or less than the amounts earned during such employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant.

10. Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances where dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by a court of law.-

- (1) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court of law and such government servant is reinstated without holding any further inquiry, the period of absence from duty shall be regularized and the government servant shall be paid pay and allowances in accordance with the provisions of sub-rule(2) or (3) of this Rule subject to the directions if any, of the court.
- (2) (i) In cases other than those covered by sub-rule(3) of this Rule, the government servant shall be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired, or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and as the disciplinary authority may determine. The disciplinary authority shall determine the proportion of such payment after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him, in that connection, within sixty days from the date on which the notice aforesaid is served on the government servant;
 Provided that any payment under this sub-rule to a government servant shall neither be equal to the full pay and allowances nor less than the subsistence allowance and other allowances admissible under Rule 7, as the case may be.
- (ii) The period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement including the period of suspension preceding such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of judgment of the court shall be regularized in accordance with the provisions contained in sub-rule(5) of Rule 9.
- (3) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court on the merit of the case, or where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court solely on the ground of non-compliance with the requirements of these Rules and no further inquiry is proposed to be held, the period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be, and the date of reinstatement shall be treated as on duty for all purposes. As a result, the government servant shall be paid full pay and allowances for the period to which he would have been entitled, had he or she not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be.
- (4) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule (3) of this Rule shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.
- (5) Any payment made under this rule to a government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him or her through any employment during the period between the dismissal, removal or compulsory retirement and the date of reinstatement. Where the pay and allowances admissible under this Rule are equal to or less than those earned during such employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant.

PART-V
PENALTIES AND
DISCIPLINARY AUTHORITIES.

11. Minor and Major Penalties.- The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a government servant, namely:-

Minor Penalties.-

- (i) Censure;
- (ii) Withholding of promotion;
- (iii) Recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;
- (iv) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect.
- (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect.

Major Penalties.-

- (vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect.
- (vii) Save as provided for in clause (iv), reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further direction as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (viii) Reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further direction regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service;
- (ix) Compulsory retirement;
- (x) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
- (xi) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government:

Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause(x) or clause(xi) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.

EXPLANATION (1).-The following shall not amount to a penalty within the meaning of this Rule, namely:-

- (i) *withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;*
- (ii) *withholding of promotion of a government servant after consideration of his case to a service, grade or post for which he is eligible, whether he is in a substantive or in officiating capacity;*

- (iii) *non-promotion of a government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service grade or post for promotion to which he is eligible ;*
- (iv) *reversion of a government servant officiating in a higher service, grade, or post to a lower service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;*
- (v) *reversion of a government servant appointed on probation in any other Service, grade or post to his permanent Service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation;*
- (vi) *compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement under rule 74 of the Bihar Service Code;*
- (vii) *termination of the service-*
 - (a) *of a government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation; or*
 - (b) *of a government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.*

EXPLANATION (2).-The penalties mentioned in the clauses (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) are explained as follows within the meaning of this rule-

- (i) *Censure.- The Censure shall be entered in the character roll of the year the allegation or omission & commission. The adverse effect of censure on the confirmation and promotion of concerned Government Servant shall be for next three consecutive years after the year of allegation or omission & commission for which he or she is censured. For example, if a Government Servant is censured for the allegation or omission & commission of the year 2002-2003, it shall be entered in the character roll of 2002-2003 and its adverse effect shall be from the year 2003-2004 to 2005-2006.*

Such Government Servant who has been awarded with three censures, shall be deemed to be fit for promotion only if after expiry of the period of adverse effect of last (third) censure, during the next five years his work and conduct of at least three years is extraordinary and has not been awarded any adverse remarks for the period of next five years. For example, if the adverse effect of third censure of a Government servant expires in 2002 and his promotion is due in 2008 or before that, in that case his promotion shall be deemed to be due in 2008, i.e. five years after the expiry of adverse effects of last censure, with the condition that during the five years of 2003 to 2007 his work and conduct of at least three years is extraordinary and during the said five years he has not been awarded any adverse remarks.

- (ii) *Withholding of Promotion.- While awarding the penalty of withholding of promotion, it shall be essential to explain in the order of the disciplinary authority whether this penalty shall be for a particular period or for the whole service period.*
- (iii) *Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect:- This penalty shall be effective from the date of issue of order. In this penalty the 'stage' means the stage of pay scale. As it is*

without cumulative effect, therefore after the expiry of the period of penalty the next stage shall be admissible adding the benefit of all the effected stages.

- (iv) *Withholding of increments of pay without cumulative effect:- Such penalty shall be effective from the date of issue of order, i.e. the increments due after the issue of the order shall be withheld. It will be essential to mention clearly the number of annual increments withheld in the order by the disciplinary authority. After the communication of order of penalty the increment shall remain withheld from the due date of next increment. For example, if two increments of a Government Servant are withheld without cumulative effect, it will mean that after the date of communication of order of penalty, from the due date of next increment till one year the first increment and from the second due date till one year the second increment shall remain withheld. As the penalty is without cumulative effect, the salary from the due date of third increment after the withholding of increments shall be paid with increment after adding the stages of both the withheld increments, but the financial benefit of withheld period shall not be admissible.*

No promotion shall be considered during the period of operation of this penalty, i.e. for the number of years the increments are withheld. Only after the expiry of the period of penalty, it will be possible to consider on the promotion from the due date.

- (v) *Withholding of increments of pay with cumulative effect:- Such penalty shall be effective from the date of issue of order, i.e. the increments due after the issue of the order shall be withheld. It will be essential to mention clearly the number of annual increments withheld in the order by the disciplinary authority. After the communication of order of penalty the increment shall remain withheld from the due date of next increment. For example, if two increments of a Government Servant are withheld with cumulative effect it will mean that after the date of communication of order of penalty, from the due date of next increment till one year the first increment and from the second due date till one year the second increment shall remain withheld. The cumulative effect shall be for such number of years as is the increments withheld, but as the penalty is with cumulative effect therefore the withheld increments shall remain withheld for the whole service period. Under these circumstances, the salary from the due date of third increment after the withholding of increments shall be paid with increment without adding the stage of both the withheld increments.*

No promotion shall be considered during the period of operation of this penalty, i.e. for the number of years the increments are withheld. Only after the expiry of the period of penalty it will be possible to consider on the promotion from the due date.

- (vi) *Reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government Servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay:- It shall be essential to mention clearly in the order the period of effect of such penalty and also whether annual increment will be earned during such period or not. It shall also be essential to explain whether on the expiry of period of penalty, further increments will be automatically admissible or will remain postponed, and if postponed the period of such postponement.*

If the future increments are postponed after expiry of period of such reduction, in that case the promotion will be withheld for such number of years as is the number of years of withholding of increment.

- (vii) *Reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government Servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service:- It shall be essential to mention clearly in the order concerning this penalty whether its limit of effect shall be permanent or for indefinite period, or not. If the intention is not to make its limit of effect permanent or for indefinite period, in that case it shall be essential to mention the period of such reduction and the conditions of restoration after the completion of period of such reduction in the proposed penalty. Therefore, it shall be desirable for the disciplinary authority to invariably specify the following instructions in the order of penalty:-*
- (a) *the period of reduction, unless the clear intention is that the reduction should be permanent or for an indefinite period;*
 - (b) *where the period of reduction is specified whether on the expiry of the period the Government Servant is to be promoted automatically to the post from which he was reduced; and*
 - (c) *whether on such re-promotion, the Government Servant will regain his original seniority in the higher service, grade or post or higher time-scale which had been assigned to him prior to the imposition of the penalty.*

EXPLANATION (3).-

Warning.- The warning is not a penalty within the meaning of this rule and due to this it has not been placed in any of the category of penalty. But the occasion may come when the disciplinary authority or his sub-ordinate authority may need to criticize a Government Servant due to his carelessness, lack of interest, delay in execution of work etc. Such criticism may be done by warning him orally or in writing, so that the work of the Government Servant may be improved. It is also possible that after the procedure of disciplinary proceeding for an allegation i.e. after the scrutiny of explanation it is concluded that it will be sufficient to warn the delinquent person instead of censuring him. In that circumstances the 'Warning' awarded should be entered into the character roll. But with the entering into character roll such 'warning' cannot be converted into 'censure'. However such warning has the effect on the merit of the Government Servant or on his being considered for promotion on higher post. Such 'warning' cannot be a 'censure' because while awarding 'warning' he was not considered to be censured. If there is entry of 'two warnings' in the character roll of a Government Servant, the said 'warnings', due to the aforesaid reasons, neither be deemed to be converted into 'censure' nor be equivalent to 'a censure'. But it does not mean that Government Servant may have so many 'warnings' entered into his character roll. The 'warnings' has the effect of adverse remarks. If there is no improvement in the work despite warning, the reporting/reviewing officer is competent to record the remarks accordingly.

If a Government Servant is awarded 'warning' after adopting the prescribed procedure of awarding penalty (i.e. after giving an opportunity to explain his conduct and keeping in view the explanation submitted by him) and

which is entered into character roll, in that case it shall have the adverse effect for next one year on the confirmation and promotion of the Government Servant. If five 'warnings' are entered into the character roll of a Government Servant, he shall be deemed to be fit for promotion, if after expiry of the period of adverse effect of the fifth warning, during the next five years his work and conduct of at least three years is extra-ordinary and he has not been awarded any adverse remarks for the period of next five years.

12. Disciplinary Authority.- The High Court may impose any of the penalties specified in Rule 11 on any government servant.

13. Authority to initiate proceedings.- The Standing Committee of Patna High Court is empowered to initiate departmental proceeding against any government servant.

PART-VI

PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES.

14. Procedure for imposing major penalties.-(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (vi) to (xi) of Rule 11 shall be made without holding an inquiry, as far as may be, in the manner provided in these Rules.

(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring about the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a government servant, he may himself inquire into it, or appoint under these Rules, an authority to inquire about the truth thereof.

EXPLANATION- Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) of this Rule to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a government servant under this Rule, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up:-

- (i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour as a definite and distinct article of charge;
- (ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain:-
 - (a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the government servant;
 - (b) a list of such document by which, and a list of such witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the government servant a copy of the articles of charge, such statement of the imputations of misconduct or misbehaviour together with list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the government servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge which are not admitted, or, if it thinks necessary to appoint, under sub-rule(2) of this Rule, an inquiry authority for the purpose it may do so and where all the articles of charges have been admitted by the government servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall take action in the manner laid down in Rule 15.

- (b) If no written statement of defence is submitted by the government servant, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or

may, if it thinks necessary to appoint, under sub-rule(2) of this Rule an inquiry authority for the purpose, it may do so.

- (c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry about such charge, it may, by an order, appoint a government servant or a legal practitioner, to be known as the “Presenting Officer” to present on his behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward the following records to the inquiring authority:-

- (i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour,
- (ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the government servant;
- (iii) a copy of the statement of witnesses, if any, specified in sub-rule(3) of this Rule.
- (iv) evidence proving the delivery of the documents specified to in sub-rule(3) of this Rule to the government servant; and
- (v) a copy of the order appointing the “Presenting Officer”.

(7) The government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify in this behalf or within such further time, not exceeding ten days, as may be specified by the inquiring authority.

(8) The government servant may take the assistance of other government servant posted in any office, either at his headquarter or at the place where the inquiry is to be held or a retired government servant, to present the case on his behalf;

Provided that he may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits;

Provided also that the government servant may take the assistance of any other government servant posted at any other station, if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits;

Provided further that the government servant shall not take the assistance of any such other government servant who has three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(9) If the government servant, who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has to say anything for his defence and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the government servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the government servant pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the government servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, requires the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the government servant may, for the purpose of preparing his defence:-

- (i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list in sub-rule (3) of this Rule;
- (ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;
NOTE – If the government servant applies in writing for the supply of copies of the statement of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3) of this Rule, the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible.
- (iii) give a notice within ten days of the order or within such further time as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list specified in sub-rule(3) of this Rule;

Provided that the government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Government.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the document by such date as may be specified in such requisition.

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition specified in sub-rule (12) of this rule, every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority, having the custody or possession of the requisitioned documents, is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing, that the production of all or any of such documents will be against public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the government servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses, as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in his discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the government servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, excluding the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the government servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the government servant to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice;

Provided that new evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to supplement the evidence. Such evidence may be called for if there is any inherent lacuna or defect in the evidence, produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the government servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the government servant shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer.

(17) The evidence on behalf of the government servant shall then be produced. The government servant may examine himself on his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the government servant shall then be examined and they shall be liable to examination, cross-examination and re-examination according to the provisions applicable to the witnesses.

(18) The inquiring authority may, after the government servant closes his case, and shall, if the government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer and the government servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry *ex-parte*.

(21) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the basis of evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(22) (i) After the conclusion of the inquiry, a record shall be prepared and it shall contain:-

- (a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) the defence of the government servant in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and the reasons thereof.

EXPLANATION.- If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry may establish any article of charge different from the original articles of the charge, he may record his findings on such article of charge;

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a

reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

- (ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include:-
 - (a) the report prepared by it under clause (i) of this sub rule;
 - (b) the written statement of defence, if any, submitted by the government servant;
 - (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
 - (d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the government servant or both during the course of the inquiry; and
 - (e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

15. Action on the inquiry report:-

- (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, may remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the Inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Rule 14 as far as may be.
- (2) The disciplinary authority, after receipt of the enquiry report as per Rule 14, sub-rule (22) (ii) or as per sub-rule (1) of this Rule, shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own finding on such charge, if the evidences on record is sufficient for the purpose.
- (3) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the inquiry report, together with its own findings, if any, as provided in sub-rule (2) of this Rule, to the government servant who may submit, if he or she so desires, his or her written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days.
- (4) The disciplinary authority shall consider the representation or submission, if any, submitted by the government servant before proceeding further in the manner specified in sub rules (5) and (6) of this Rule.
- (5) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 11 should be imposed on the government servant, it shall, notwithstanding anything contained in Rule 16, make an order imposing such penalty.
- (6) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (vi) to (xi) of Rule 11 should be imposed on the Government servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the government servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

"Provided that the penalties of dismissal from service, removal from service and compulsory retirement shall take effect after such proposal of the Disciplinary Authority is notified by the Governor of Bihar."

16. Procedure for imposing minor penalties:-

- (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 15, no order imposing on a government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 11 shall be made except after:-
 - (a) informing the government servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;
 - (b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rules (3) to (22) of Rule 14, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
 - (c) taking the representation, if any, submitted by the government servant under sub-rule (1) clause (a) of this Rule and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration; and
 - (d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehavior.
- (2) The record of the proceedings in such cases shall include-
 - (i) a copy of the intimation to the government servant of the proposal to take action against him;
 - (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
 - (iii) his representation, if any;
 - (iv) the evidence produced during the inquiry;
 - (v) the findings of each imputation of misconduct or misbehaviour; and
 - (vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

17. Special procedure in certain cases.-

Notwithstanding anything contained in Rule 14 to 16:-

- (i) where any penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
- (ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by him in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these Rules; or
- (iii) where the Government is satisfied that in the interest of the State, it is not expedient to hold any in the manner provided in these Rules.

— the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit;

Provided that the government servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i).

18. Communication of Orders.- Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the government servant who shall also be supplied with a copy of its finding on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority.

19. Common Proceedings.- (1) Where two or more government servants are concerned in any case, the government or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

NOTE:- If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such government servants are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Any such order shall specify:-

- (i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;
- (ii) the penalties specified in Rule 11, which such disciplinary authority shall be competent to impose;
- (iii) whether the procedure laid down in Rule 14 and Rule 15 or Rule 16 shall be followed in the proceeding.

PART - VII

Appeal / Review

20. Appeal / Review.- (1) No appeal would lie against the order of the penalty passed under Rule 11 however an aggrieved Judicial Officer may prefer a review in the form of memorial before the Governor against any order made by the Disciplinary Authority including an order imposing any of the major penalties or minor penalties under Rule 11, as the case may be.

(2) Such a review shall be preferred within forty five days from the date of communication of the order imposing any such penalties to him.

Provided that the authority competent under these Rules to make any order may for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified under this Rule and condone the delay.

(3) The Governor on receipt of the memorandum of review from the aggrieved Judicial Officer, shall forward the same to the High Court for its opinion and on receipt of the opinion from the High Court, the Governor shall decide the review in accordance with the opinion duly forwarded by the High Court.

(4) A review so preferred shall be disposed of preferably within three months from the date of filing of the Memorandum of review to the Governor.

21. Removal of doubts.- (1) In case of any doubt as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be referred to the High Court whose decision thereon shall be final.

(2) The provisions of the Bihar Service Code and the Bihar Pension Rules shall mutatis mutandis apply on the Government Servant in such matters for which there is no provision in these Rules.

22. Power to make regulations.- (1) The High court may make regulations to carry out all or any of the purposes of these Rules.

(2) All regulations made under these Rules shall be published in the Official Gazette.

23. Repeal and savings.- (1) All rules corresponding to these rules, orders and resolution, if any, in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that –

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules and orders or anything done or any action taken thereunder;

(b) any proceeding under the repealed rules, notification or orders pending at the commencement of these rules, shall be continued and disposed of, as far as may be, in accordance with these rules.

(2) A review pending, or preferred, on the commencement of these rules against an order made before the commencement of these rules, shall be disposed of in accordance with Rule 20.

By Order of the Governor of Bihar,
Ghufran Ahmad,
Deputy Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 499-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>